न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 144 / 2025
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 14.10.2025 **निर्णय दिनांक : 27.11.2025**

उनवान

1. मोहनी बाई पिता मोड़ाजी पत्नी जालम जी जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी ढीली हाल निवास खटीक मोहल्ला भूपाल सागर तहसील भूपाल सागर जिला चितौडगढ़
2. प्यारी बाई पिता मोडाजी पत्नी भंवर लाल जी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी ढीली हाल निवास जटीयो का मोहल्ला करोली तहसील व जिला राजसमन्द
3. बदामी बाई पिता मोड़ाजी पत्नी मांगू जी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी ढीली हाल निवास मोगाना (थामला) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. सोसर बाई पिता मोडाजी पत्नी रूपा जी जाति जटिया ऑयु वयस्क निवासी ढीली हाल निवास मोगाना (थामला) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सायरी पत्नी शंकर लाल जी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी ढीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता मुकेश चन्द्र शर्मा**
विपक्षीगण्र की ओर से :– **एकपक्षीय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेड़िया में निम्न कृषि भूमियां वर्णित जिसके आराजी नम्बर 1698, 1699 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.3400 है0, आराजी नम्बर 1788 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.5342 है0, आराजी नम्बर 1635 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.0405, आराजी नम्बर 1631,1632, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647, 1656, 1668, 1669 कुल खसरा 12 कुल रकबा 1.0762 है0, आराजी नम्बर 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 कुल खसरा 15 कुल रकबा 0.7283 है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीगण के पिता मोडाजी को उनके पिता हरजी से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण की वास्तविक जाति चमार है किन्तु उसके पश्चात प्रार्थीगण ने अपनी जाति में सुधार करते हुए बैरवा (जटिया) नाम राजस्व दस्तावेजो में अंकित करवाया है जिससे वह उक्त नाम से जाने जाते है। उक्त वर्णित कृषि भूमिया पैतृक व सहदायिक संपतिया है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त अविभक्त परिवार के होने से उनका जन्म से अधिकार निहीत हो गया क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमियाँ पैत्रिक संपतिया है। उक्त वर्णित कृषि भूमिया प्रार्थीगण के दादा हरजी से उनके चारो पुत्रो क्रमशः देवा, खेमा, गिरधर व मोडाजी को प्राप्त हुई तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि उनके विधिक वारिसानो को न्यायगत हुई किन्तु प्रार्थीगण के पिता मोड़ाजी की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमियाँ प्रार्थीगण के भाई शंकर जी के नाम पर ही राजस्व अभिलेख में अंकित कर दी गई जबकि मोड़ाजी की मृत्यु के समय प्रार्थीगण का जन्म हो चुका था जो की मोड़ाजी की जायदा पुत्रिया है। किन्तु स्व. शंकर जी ने उक्त कृषि भूमिया केवल मात्र उसके नाम पर अंकित करवा दी गई। यह कि स्व.मोडाजी की मृत्यु के वक्त हिन्दू उत्तराधिक अधिनियम अस्तित्व में आ चुका था जिससे स्व. मोडाजी की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण का नाम भी वादग्रस्त कृषि भूमियो में अंकित होना चाहिए था क्योंकि प्रार्थीगण स्व. मोडाजी की जायदा पुत्रिया होने से अनुसूची 1 की वारिसान है किन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटीवश प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि में अंकित नही हुआ जिससे प्रार्थीगण की ओर से वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमिया स्व. हरजी से प्राप्त होने एवं हरजी के क्रमशः चार पुत्र देवा, खेमा, गिरधर व मोडा होने से तथा मोडाजी के प्रार्थीगण एवं स्व. शंकर लाल के विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में मोडाजी का 1/4 हिस्सा होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/20 वा हिस्सा निहित है । तदनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किया जावें । यह कि विपक्षी संख्या 1 स्व. शंकर जी की विधवा है एवं शंकर जी की मृत्यु दिनांक 22–08–2025 को हो चुकी है तथा शंकर जी के कोई विधिक वारिसान नही है जिससे उक्त सम्पूर्ण सम्पत्तियो

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

को विरासत के आधार पर उसके नाम पर करवाकर अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकिया दे रही है। चूंकि वर्तमान मे राजस्व जमाबंदी में वादग्रस्त कृषि भूमिया शंकर पिता मोड़ा के नाम पर अंकित होने से एवं विपक्षीया संख्या 1 स्व. मोडाजी की पत्नी होने से एवं प्रथम अनुसुचि की वारिस होने के आधार पर अपने नाम पर कराने को उतारू है । तत्पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमियो को विक्रय करने पर आमादा है यदि विपक्षी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमिया विरासत के आधार पर अपने नाम पर अंकित कराकर विक्रय कर देती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी मे सभव नही है तथा अनावश्यक वाद बाहुल्यता बढेगी। यह कि प्रार्थीगण के द्वारा स्व. मोडाजी की सम्पतियो एवं उनके हिस्से तक की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है जिससे वादग्रस्त भूमियो मे जो हिस्सा स्व. मोडाजी का एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त केवल मात्र शंकर जी के नाम पर अंकित हुआ उन्ही हिस्सो मे प्रार्थीगण का हिस्सा चाहा गया है जिससे संयुक्त जमाबन्दी मे अन्य खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है क्योंकि यदि अन्य संयुक्त खातेदारान को पक्षकार प्रतिवादियो के रूप मे सयोजन किया जाता है तो उक्त वाद के विचारण में अनावश्यक उलजन एव विलम्ब कारित होगा एवं अन्य पक्षकारो को भी अनावश्यक रूप से विचारण का सामना करना पडेगा जबकि उनके हितो पर कोई विपरीत असर उनके पक्षकार नही बनाए जाने से पडेगा तथा न ही प्रार्थीगण ने संयुक्त अन्य खातेदारान के विरुद्ध कोई सहायता ही चाही गयी है। प्रार्थीगण का वाद हेतुक दिनांक 05.09.2025 को विपक्षी संख्या 01 ने वादग्रस्त जमीन अपने नाम पर करने एवं तत्पश्चात उनको विक्रय करने की धमकीयां दी गई तक प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमियों के संबंध में जमाबंदी एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध किये तब उनको पता चला की वादग्रस्त कृषि भूमियों में उनका नाम अंकित नहीं है जिससे प्रार्थीगण का वाद हेतुक दिनांक 05.09.2025 को उत्पन्न होकर निरंत जारी है।

अत श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें की वादग्रस्त कृषि भूमियों का नामान्तकरण विपक्षी संख्या 01 अपने नाम पर अंकिन नहीं करावे। यदि दोहराने वाद नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जाता है तो उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति जो अंतरण, रहन अथवा बहबक्षीस न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी संख्या 01 से 04 की तामील रजिस्टर्ड से करायी गयी जिसकी प्राप्ति रसीद एक माह उपरान्त प्राप्त नही जिससे आदेश 05 नियम 09(ग) सी.पी.सी. के तहत् एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये गये।

प्राथी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेड़िया में निम्न कृषि भूमियां वर्णित जिसके आराजी नम्बर 1698, 1699 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.3400 है0, आराजी नम्बर 1788 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.5342 है0, आराजी नम्बर 1635 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.0405, आराजी नम्बर 1631,1632, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647, 1656, 1668, 1669 कुल खसरा 12 कुल रकबा 1.0762 है0, आराजी नम्बर 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 कुल खसरा 15 कुल रकबा 0.7283 है0 भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध शंकर पुत्र मोड़ा के स्वामित्व के हिस्से तक की भूमियों के अन्तरण व नामान्तकरण के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय में जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमियों का नामान्तकरण अपने नाम पर अंकित नही करावे एवं उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति जो अंतरण, रहन अथवा बहबक्षीस न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **27.11.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा